

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर  
बईजलास श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या .147 / 2011

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर जिला बीकानेर

-प्रार्थी

::बनाम::

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | फूसाराम   | } पिसरान टीकूराम जाट साकिन करमीसर हाल<br>बदरासर तहसील बीकानेर |
| 2 | बख्तू   |   |
| 3 | सोहनलाल पुत्र सुगनाराम सहारण जाट निवासी करमीसर तहसील<br>बीकानेर |   |

अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 82 भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

- 1- स्टेट की तरफ से - विभागीय प्रतिनिधि
- 2- अप्रार्थीगण अनुपस्थित

::आदेश::

दिनांक 30.10.2019

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार बीकानेर ने धारा 82 भूराजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन तहसीलदार बीकानेर द्वारा राज्यादेशों व कानून के विपरीत जाकर इस मामले में अप्रार्थीगण को ग्राम करमीसर में आदेश दिनांक 26.02.2007 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जिसे निरस्त कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया लेकिन अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। लिहाजा उनके खिलाफ कार्यवाही ईकतरफा की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड मंगवाया गया। तदन्तर स्टेट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि का मामले के गुणावगुण पर ईकतरफा बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर  
(प्रशासन). बीकानेर

3. प्रार्थी स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया कि ग्राम करमीसर के खसरा नम्बर 49/37 तादादी 15.4 बीघा भूमि संवत् 2045 में राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर खातेदारी दर्ज थी। यह भूमि अप्रार्थीगण को टी.सी. आबंटित हुई थी। पैरोकारराज ने निवेदन किया कि नगरीय विकास की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(13) टीपी/II/72 दिनांक 16.6.76 से यह ग्राम बीकानेर की शहरी सीमा घोषित किया जाकर अधिसूचित किया गया तथा इसका मास्टर प्लान में वर्ष 1981 में अनुमोदन हो चुका है जिसके कारण अप्रार्थीगण गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थी। उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के पत्रांक प-3(132)24/2004 दिनांक 18.10.2004 के द्वारा यह निदेश प्रदान किये है कि शहरी क्षेत्र व पेरीफेरी क्षेत्र में आनेवाली भूमि का ना तो आबंटन किया जावे और नाही उसका नियमन किया जावे। इसी प्रकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3(4)उप/91 दिनांक 4.7.2003 के अनुसार जो रकबा मास्टर प्लान के पेरीफेरी कण्ट्रोल में आता है उस भूमि की खातेदारी सनद जारी नहीं की जा सकती।

4. इस मामले में तहसीलदार बीकानेर द्वारा मास्टर प्लान के तहत अधिसूचित ग्राम करमीसर में आदेश दिनांक 26.2.2007 के द्वारा खसरा नम्बर 49/37 तादादी 15.4 बीघा में अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये है जो एब-इनिशियो-वॉयड (Abinitio-Void) होने के कारण निरस्त किया जावे। विभागीय प्रतिनिधि निवेदन किया कि इस प्रकरण में गैरखातेदारी/टी.सी.होल्डर्स को खातेदारी अधिकार दिये जाने में भूमि आबंटन नियम 1970 के नियम 4(5) का उल्लंघन हुआ है। इन नियम में शिथिलता देने का अधिकार जिला कलक्टर को भी नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि जिला कलक्टर महोदय ने इस प्रकार के मामलों में जहां खातेदारी नियमों के विरुद्ध दी गई है उन्हें निरस्त कराये जाने हेतु रेफरेन्स पेश करने के निर्देश दिये हैं। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित खातेदारी आदेश दिनांक 26.02.2007 नियम विरुद्ध होने के कारण इसे निरस्त कराये जाने हेतु मामला माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

॥  
अति. जिला कलक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि के कथन पर मनन किया व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बीकानेर ने आदेश 26.02.2007 के द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम करमीसर के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 49/37 तादादी 15.4 बीघा भूमि पर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे उस समय प्रश्नगत भूमि नगरीय विकास विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1(13) टीपी/II/72 दिनांक 16.6.1976 के द्वारा बीकानेर शहर की शहरी सीमा क्षेत्र अधिसूचित किया जा चुका था तथा इसका मास्टर प्लान में वर्ष 1981 में अनुमोदन हो चुका है। राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर ने आदेश क्रमांक प 3(4)उप/91/ जयपुर दिनांक 4.7.2003 के द्वारा यह आदेश दिये थे राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी) शर्तें 1955 की शर्त संख्या 6-7 के प्रावधानों के अनुसार जो रकबा (भूमि) मास्टर प्लान के पेराफेरी कण्ट्रोल के अर्न्तगत आती है उस भूमि की खातेदारी सनद जारी नहीं की जावे। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में आबंटन नियम 1970 के नियम 4(5) का उल्लंघन किया जाकर इस मामले में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। मामले के आद्योपान्त अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि इस मामले में तहसीलदार द्वारा नियमों व राज्यादेशों के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में मामला माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को अग्रप्रेषित कर निवेदन है कि तहसीलदार बीकानेर द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित खातेदारी आदेश दिनांक 26.02.2007 विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाने एवं प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

7. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.12.2019 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित हों।

8. आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

( ए.स्व.गौरी )  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बीकानेर

